न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4166–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 813/ अपील/2012–13

शंकर उर्फ मुसाफिर माली तनय महाबीर माली,
निवासी–ग्राम खजुहा, तहसील–गुढ़
जिला–रीवा (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

सरपंच, ग्राम पंचायत–खजुहा, जनपद पंचायत रीवा,
जिला–रीवा (म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री सवेन्द्र पाण्डे., अभिभाषक, आवेदक
श्री कृष्ण कुमार पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25 जून 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत खजुहा जनपद पंचायत रीवा द्वारा तहसीलदार, तसहील गुढ़ जिला–रीवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खजुहा की भूमि ढढेश्वर नाथ मंदिर के प्रागंण में शंकर माली उर्फ मुसाफिर माली द्वारा किये हुये अतिक्रमण को हटाया जाये। तहसीलदार गुढ़ ने दिनांक 19.03.2013 को आवेदक को बेदखल करने तथा सरपंच ग्राम पंचायत को

आदेश दिया कि अतिक्रमणकारी को पंचायत से पट्टा प्रदान करें। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 41/बी–121/2012–13 में आदेश दिनांक 27.04.2013 के द्वारा अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्षी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 21–10–2013 को अपील खारिज की और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे। अपर आयुक्त के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया गया कि आवेदक की ओर से वार्षिक खतौनी वर्ष 1958 प्रस्तुत की गई जिसमें आवेदक के पूर्वाधिकारी भुधर, भुरा, भोलई व नर्वदा माली काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा खेतिहार के कालम नं0 4 में भी उनका नाम इन्द्राज है। इस तरह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 1464 जिसका पुराना नं0 1318 था। आवेदक की पुस्तैनी भूमि है। उक्त भूमि को अधिकार अभिलेख में वर्ष 1973–74 में आवेदक के पूर्वाधिकारी भुधर, भुरा, भोलई के स्वामित्व में ही इन्द्राज है जिस भूमि का नामांतरण मंदिर की भूमि को छोड़कर शेष भूमि का नामांतरण आवेदक के नाम किये जाने का आदेश तहसीलदार गुढ़ ने दिनांक 21.2.1991 को पारित किया था। उक्त आदेश की प्रतिलिपि भी अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। खतौनी वर्ष 1958–99 अधिकार अभिलेख एवं तहसीलदार गुढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.1991 से स्पष्ट है कि आवेदक की स्थिति अतिक्रामक की नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति भूमि स्वामी की है। प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त उसके पास कोई भी भूमि या मकान नहीं है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 23.06.1980 के पूर्व से उक्त भूमि काबित है जिस कारण से वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 का भी लाभ पाने का हकदार है, क्योंकि वह भूमिहीन व्यक्ति है, उसके पास न तो कोई जमीन है और न ही कोई दूसरा आवासीय मकान ही है। ऐसी स्थिति में भी उसे अतिक्रामक नहीं माना जा सकता और न उसे विवादित भूमि से बेदखल ही किया जा सकता है। जहां तक सरपंच ग्राम पंचायत खजुहा का यह आक्षेप है कि आवेदक के प्रश्नाधीन भूमि में

मकान बने होने असुविधा है, पूर्णतः मिथ्या एवं मनगढन्त है। सरपंच ग्राम पंचायत खजुहा आवेदक से द्वेष रखते है जिस कारण उन्होंने झूठी शिकायत आवेदक के विरूद्ध की थी, जिन सब बातों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने कतई कोई भी विचार नहीं किया और न आवेदक को पक्ष समर्थन करने का कोई अवसर ही दिया जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक की ओर से लिखित तर्क में जो यह बात कही गई है कि ग्राम पंचायत से सर्वसम्मत से अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है वह पूर्णतः मिथ्या एवं मनगढन्त है। भूमि ख0नं0 358 आवासीय भूमि है ही नहीं बल्कि वह तालाब की भूमि है जो कि पंचायत के अन्तर्गत है न कि खजुहा पंचायत के, जिस तालाब में पानी रहता है जो आबादी हेतु कतई उपर्युक्त नहीं है और न उसकी कभी कोई भी सूचना आवेदकों को दी ही गई। अनावेदक ने आवेदक को तंग व परेशन करने व व्यर्थ की मुकदमेबाजी में फंसाने की दुभावना से इस तरह असत्य एवं मिथ्या आरोप लगाया है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर निगरानी स्वीकार किये जाने का एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया गया कि आराजी नं0 1464 जो कि शासकीय आराजी है, मंदिर प्रागंण में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण, किया गया है। मंदिर प्रांगण में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने बावत ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में सर्व सम्मपत्ति से उक्त अतिक्रमण हटाये जाने का प्रस्ताव पारित किया था, उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के प्रस्ताव के विरूद्ध अपीलांट द्वारा कहीं भी अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी मंदिर की भूमि है, जिस पर राजस्व रिकार्ड में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज है। विचारण न्यायालय के आदेश के मुताबिक अनावेदक द्वारा कलेक्टर रीवा के यहॉ शासकीय आराजी नं0 358 के अंश रकबा 0.024 हे0 को शासकीय आराजी से काट कर अपीलांट को आबादी के लिये आवेदन पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर रीवा द्वारा आराजी नं0 358 के अंश रकबा 0.024 हे0 शासकीय से काटकर आबादी घोषित किया है व ग्राम सभा द्वारा भी उक्त रकबा का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर अपीलांट को घर बनाने के लिये कलेक्टर रीवा के

यहां प्रस्ताव दिया था, जिसमें कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 12.09.2012 को आदेश कर उक्त आराजी नं0 358 के अंश रकबा 0.024 हे0 अपीलांट को देने के लिये आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का मौका देने के बाद ही आदेश पारित किया है, जो विधि के अनुरूप है। अंत में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को यथावत रखते हुये निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने सरपंच के आवेदन पर मंदिर प्रांगण की भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण मानकर उसे हटाने का आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपील में भी तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है। आवेदक का यह तर्क कि विवादित भूमि उसकी थी वह पुस्तैनी रूप से निवासरत है, अतः उसे वास स्थान दखलकार अधिनियम में पट्टा मिला चाहिए। उक्त तथ्य को आवेदक विचारण न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सका। मंदिर की भूमि पर वास स्थान दखलकार अधिनियम में पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता। कलेक्टर द्वारा वैकल्पिक रूप से खसरा नम्बर 358 रकबा 0.24 हे0 आबादी भूमि घोषित की गई है जहां उसे आवास हेतु पट्टा प्राप्त हो सकता है। उक्त स्थिति में तीनों आधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर